

न्यायालय— प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल के न्यायालय के तृतीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल, जिला बैतूल (म0प्र0)
{समक्ष-श्रीमति सीता कनोजे}

व्यवहार वाद क.-2300066ए/16

संस्थित दिनांक-19.07.2016

1. मानसी (माधवी) राजीव पाचपोर (पुत्री स्व. दिनकरराव सायरे)
पता- 193, लक्ष्मीनगर नागपुर- 440022
 2. संदीप व दिनकरराव सायरे (पुत्र स्व. दिनकरराव सायरे)
पता फ्लेट न.-504 बिल्डिंग न.-5 जया गार्डन,
हितल पार्क के सामने जांगीड इस्टेट
मिरा रोड(E) ठाणे- 401107
 3. पूर्णिमा विष्णु बन्सोड़ (पुत्र स्व. दिनकरराव सायरे)
पता- 006 सावित्री अपार्टमेंट बुटी ले आउट
लक्ष्मी नगर नागपुर 440022
- आवेदकगण / वादीगण

—:विरुद्ध:-

1. इंदल व शिवराम
2. कुंवरलाल व शिवराम
3. सालिकराम व शिवराम
4. किशोरी व शिवराम
सभी निवासी बडोरा तह. जिला बैतूल
5. दिलीप व सुखदेव
6. उर्मिला जौजे सुखदेव
दोनों निवासी बडोरा तह. जिला बैतूल
7. रमण — दिनकरराव सायरे (पुत्र स्व. दिनकरराव सायरे)
पता सायरे चौक तिलक वार्ड बैतूल बाजार जिला बैतूल
8. रेखा— अविनाश घोंगडी (पुत्री स्व. दिनकरराव सायरे)
पता साईं मंदिर के सामने मु.पो. आश्टी तह. आश्टी जिला वर्धा
9. सुनील खापर्डे (पती कै. शारदा खापर्डे)
पता- स्टेट बैंक के बाजू में मु. पो. मोर्शी तह. मोर्शी जिला अमरावती
10. परणीता— आशिश पुराणिक (पुत्री स्व. शारदा खापर्डे)
पता- A1/61 फ्लेट न- 502, EIL रेसीडेंशियल कॉम्प्लेक्स,
गोकुलधाम, गोरेगॉव (E)मुम्बई
11. सुजाता — चंद्रकांत अराध्ये (पुत्री स्व. शारदा खापर्डे)

पता C/o श्रीकांत अराध्ये, 81/401, देवदर्शन सोसायटी फेज- 2,
वाघबीला नाका, छोड़बंदर रोड, ठाणे

12. **रेणुका सुनील खपर्डे (पुत्री स्व. शारदा खापर्डे)**
पता स्टेट बैंक के बाजू में मु.पो. मोर्शी तह. मोर्शी जिला अमरावती
13. **राधिका सुनील खपर्डे (पुत्री स्व. शारदा खापर्डे)**
पता स्टेट बैंक के बाजू में मु. पो. मोर्शी तह. मोर्शी जिला अमरावती
14. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर बैतूल —अनावदेकगण/प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा श्री गणपति शिंदे अधिवक्ता।
प्रतिवादी क- 1 से 7 द्वारा श्री सी.के बाघमारे अधिवक्ता।
प्रतिवादी क-8 द्वारा श्री गिरीश गर्ग अधिवक्ता।
प्रतिवादी क- 9 से 14 पूर्व से एकपक्षीय।

आदेश

(आज दिनांक-03.08.2017 को पारित)

01. इस आदेश के द्वारा आवेदकगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. 1908 का निराकरण किया जा रहा है ।

02. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनकरराव की मृत्यु दिनांक- 20.05. 2013 को हुई। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमि ग्राम भोगीतेड़ा तह. व जिला बैतूल में स्थित है जिसका ख.न. 188 रकबा 7.701 हे. हैं विक्रय पत्रों के आधार पर ख. न. 188/1 में से 3.239 हे. पैकी बाई का नाम दर्ज हुआ, इसका ख.न. 188/2 हे ख.न. 188/1 में से विक्रय की गई 2.439 हे. पर शिवराम का नाम दर्ज हुआ। ख.न. 188/1 में से 0.809 हे. भूमि स्व. दिनकरराव ने लक्ष्मी पति लक्ष्मीनारायण को दिनांक 21.08. 2012 को विक्रय की हैं। जिसका ख. न. 188/3 दर्ज हुआ है बाद में लक्ष्मी ने दिनांक 21.08.2012 को दिलीप वल्द सुखदेव को विक्रय की हैं ख.न. 188/1 में से 1.248 भूमि दिनकरराव ने उर्मिला पति सुखदेव को विक्रय की हैं जिसका ख.न. 188/4 पर उर्मिला का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं।

03. स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त वादीगण के अभिवचन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि स्व. कृष्णराव व यादोराव के नाम ग्राम भोगीतेड़ा तह. व जिला बैतूल की खसरा न. -188 रकबा 7.701 हे. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा स्व. कृष्णराव व यादोराव की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि स्व. दिनकरराव व. कृष्णराव के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई परंतु उक्त वर्णित कृषि भूमि संयुक्त हिंदु परिवार की सहदायिकी

संपत्ति है तथा उक्त वर्णित संपत्ति पर स्व. दिनकरराव व कृष्णराव के साथ साथ समस्त वादीगण तथा प्रतिवादी क्र- 7 से 13 का भी बराबर-बराबर का हक व अधिकार बनता है। कृष्णराव व. यादोराव की मृत्यु के पश्चात विवादित उक्त कृषि भूमि स.क्र.- 7 आदेश दिनांक- 03.01.1990 के अनुसार दिनकर व कृष्णराव एवं कमला बाई व कृष्णराव के नाम राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार महोदय बैतूल के आदेश द्वारा विरासतन हक से दर्ज किए गए थे। उक्त वर्णित विवादित भूमि पर कमला बाई की मृत्यु हो जाने के कारण स्व. दिनकरराव व कृष्णराव का नाम स.क्र.- 5 आदेश दिनांक- 29.04.2003 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ एवं कमलाबाई का नाम उक्त भूमि पर से निरस्त हुआ था। वादी क्र-1 का विवाह नागपुर निवासी राजीव पाचपोर से हुआ है विवाह उपरांत वर्ष 2000 से वादी क्र-1 नागपुर में निवासरत है ।

04. वादी क्र-1 के पिता दिनकर राव जी की मृत्यु दिनांक- 20.05.2013 को हो जाने के पश्चात जब दिनांक- 15.11.2014 को वादी क्र-1 उक्त संपत्ति पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए बैतूल आयी एवं जब उक्त भूमि पर गयी प्रतिवादी क्र.-1 से लगायत 6 तक ने वादी को बताया कि उक्त भूमि स्व. दिनकरराव द्वारा विक्रय की जा चुकी है । तब वादी ने अपने अधिवक्ता से संपर्क स्थापित कर मौजा भोगीतेड़ा ख. नं.- 188 की भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त की गई एवं अन्य वादीगण से संपर्क स्थापित कर, उक्त वर्णित संपत्ति पर हक एवं अधिकार के आधार पर उक्त दावा माननीय न्यायालय के समक्ष अविलंब प्रस्तुत किया है।

05. स्व. दिनकरराव को उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा न- 188 कुल रकबा 7. 701 हे. विरासतन हक मे सहदायिकी के रूप में प्राप्त हुई जिसका स्व. दिनकर राव एवं उनके पुत्र व पुत्रियों का जन्म से समान हक व अधिकार है परंतु स्व. दिनकरराव द्वारा उक्त भूमि का विक्रय अन्य सहदायिकों की सहमति से बिना एवं बटवारा किए बगैर किया गया है जो कि स्व. दिनकरराव के अन्य सहदायिकों पर बंधनकारी नहीं है तथा विक्रय के समय वादीगण की कोई आवश्यकता उक्त भूमि को विक्रय करने की नहीं थी क्योंकि सभी वादीगण विक्रय के समय आर्थिक रूप से सक्षम थे । स्व. दिनकरराव द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का विक्रय बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता एवं सहमति से अवैधानिक रूप से किया गया है तथा विक्रय से प्राप्त धनराशि का उपयोग भी बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता और सहमति से किया गया है।

06. स्व. दिनकरराव व कृष्णराव की समस्त पुत्रियाँ विवाह उपरांत अपने अपने ससुराल में निवासरत है तथा स्व. दिनकरराव का पुत्र वादी क्र - 2 विगत कई वर्षों से मुंबई में नौकरी कर रहा है तथा मुंबई में ही निवासरत है सभी वादीगण का बैतूल में आना जाना लगभग नहीं के बराबर ही रहा है । इस कारण समस्त वादीगण को यह शंका है कि प्रतिवादी क्र-7 रमण स्व. दिनकरराव के साथ बैतूल में ही निवास करता था जिसके कारण संभावना है कि स्व. दिनकरराव एवं प्रतिवादी क्र-7 रमण के मध्य

दुरभिसंधि होकर उक्त अवैध विक्रय पत्रों का संपादन कर प्राप्त धनराशि का व्ययन प्रतिवादी क्र-7 द्वारा किया गया है जिसके फलस्वरूप ही उक्त दावा प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवादी क्र-7 द्वारा हिला-हवाला किया जा रहा था इसी कारण प्रतिवादी क्र-7 के रूप में समायोजित किया गया है तथा प्रतिवादी क्र- 8 से 13 को भी प्रतिवादी के रूप में समायोजित इस कारण से किया गया है कि प्रतिवादी क्र- 8 से 13 को जब उक्त भूमि पर नामांतरण एवं दावा प्रस्तुत करने हेतु संपर्क किया गया तब प्रतिवादी क्र- 8 से 13 द्वारा भी संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलने एवं प्रतिवादी क्र- 8 से 13 द्वारा प्रतिवादी क्र- 7 से दुरभिसंधि होने की शंका उत्पन्न होने के कारण प्रतिवादी के रूप में उसे समायोजित किया गया है ।

07. स्व. दिनकरराव द्वारा समय समय पर अवैधानिक रूप से विक्रय पत्रों का निष्पादन किया गया है जो कि स्वमेव ही शून्य है, कारण कि स्व. दिनकर राव को उक्त वर्णित विवादित संपत्ति को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त ही नहीं था क्योंकि उक्त संपत्ति सहदायिकों के मध्य बिना बटवारा किए एवं अन्य सहदायिकों की बिना स्वीकृति के निष्पादित किए गए हैं । वादीगण को एवं प्रतिवादी क्र- 7 से 13 तक जन्म से ही उक्त विवादित भूमि पर हक एवं अधिकार प्राप्त हो चुका था। स्व. दिनकरराव की समस्त पुत्रियों का विवाह हो चुका है तथा ये सभी अपने ससुराल में निवास करती है एवं संदीप वादी क्र- 2 मुंबई में वर्ष 2003 से निवास कर रहा है।

08. वाद पत्र की कंडिका - 11 में वर्णित विक्रय पत्रों को स्व. दिनकरराव व कृष्णराव द्वारा अवैधानिक रूप से बिना बटवारा करवाये सहदायिकी की संपत्ति होने के बावजूद निष्पादित किया उसके पश्चात उक्त अवैध विक्रय पत्रों के आधार पर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त हुए एवं पैकीबाई जौजे शिवराम का नाम विक्रय पत्र दिनांक- 11.12.2006 के अनुसार ख.नं.- 188/1 में से रकबा 3.239 हे. विक्रय होने से राजस्व रिकार्ड में संशोधित हुआ तथा पैकीबाई का नया खसरा न- 188/2 रकबा 3.239 हे. राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ तत्पश्चात स्व. श्री दिनकरराव व कृष्णराव द्वारा खसरा न- 188/1 में से 2.439 हे. भूमि शिवराम व तेजीलाल को विक्रय पत्र क्र- 1120 दिनांक- 21.08.2012 को विक्रय किया गया इसके आधार पर शिवराम व तेजीलाल का नाम राजस्व अभिलेखों में खसरा न- 188/1 रकबा 2.439 हे. दर्ज हुआ। तत्पश्चात स्व. दिनकरराव द्वारा लक्ष्मी पत्नी लक्ष्मीनाराण को विक्रय पत्र क्र- 3754 दिनांक- 17.03.2008 के द्वारा खसरा न- 188/1 में से रकबा 0.809 हे. भूमि विक्रय की गई इसका नया खसरा न- 188/3 लक्ष्मी पत्नी में से रकबा 0.809 हे. भूमि विक्रय की गई इसका नया खसरा न- 188/3 लक्ष्मी पत्नी लक्ष्मीनारायण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ । तत्पश्चात लक्ष्मी पत्नी लक्ष्मीनाराण द्वारा दिनांक- 21.08.2012 को दिलीप व. सुखदेव का नाम खसरा न- 188/3 रकबा 0.809 हे पर दर्ज हैं तत्पश्चात स्व. श्री दिनकरराव व कृष्णराव द्वारा खसरा न- 188/1 में से रकबा 1.214 हे. भूमि उर्मिला जौजे सुखदेव को विक्रय की गई तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ख.नं.- 188/4

रकबा 1.214 हे. पर उर्मिला जौजे सुखदेव का नाम वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

09. वादीगण के अंश हक व अधिकार की उक्त भूमि तथा प्रतिवादी क्र- 7 से 13 तक के माता पिता ने क्रय करके खसरा नं- 188/2 रकबा 3.239 हे. खसरा न- 188/1 रकबा 2.439 हे भूमि का बटवारा राजस्व न्यायालय में प्रकरण क्र- 36अ-27 वर्ष 2014- 15 में पारित आदेश दिनांक के अनुसार निम्नानुसार करवा लिया है-

ख.न. 188/1 रकबा 1.421 हे. इंदल व शिवराम, ख.न-188/2 रकबा 1.419 हे. कुंवरलाल व शिवराम, ख.न.- 188/5 रकबा 1.419 हे सालिकराम व. शिवराम, ख.न.- 188/6 रकबा 1.018 हे. किशोरी व शिवराम, ख.न. 188/7 रकबा 0.401 हे किशोरी व. शिवराम। जिसमे उपरोक्तानुसार नाम दर्ज करवा लिए गए हैं यह बटवारा केवल वादीगण को परेशान करने की बदनीयत से किया गया है जिससे प्रतिवादी क्र- 7 से 13 तक को उक्त भूमि पर किसी प्रकार को कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होता है तथा उपरोक्त बटवारा अवैध है।

10. वादीगण को वाद प्रस्तुति का वाद कारण सर्वप्रथम बार तब उत्पन्न हुआ जब दिनांक- 15.11.14 को प्रथम बार उक्त पैतृक खानदानी संपत्ति पर अन्य वारसानों के साथ उनसे संपर्क कर वादी क्र-1 स्वयं का नाम दर्ज होने की जानकारी प्राप्त करने हेतु बैठल आयी थी। तब वादी क्र- 1 को प्रथम बार जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम भोगीतेड़ा स्थित उपरोक्त वर्णित पैतृक संपत्ति का विक्रय अवैध रूप से स्व. दिनकरराव द्वारा किया जा चुका है। उसके पश्चात अन्य वादीगण से संपर्क स्थापित कर उक्त भूमि संबंधी जानकारी अपने अधिवक्ता से प्राप्त करने के पश्चात से वाद कारण निरांतर जारी है जब से स्व. दिनकरराव द्वारा निष्पादित अवैध विक्रय पत्रों की सत्य प्रतियाँ वादीगण को प्राप्त हुई है। यह वाद पत्र परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत उचित समय सीमा में प्रस्तुत है। विवादित भूमि 188 में वादीगण का अंश घोषित किया जावे तथा वादी के पक्ष में इस आशय की आज्ञा जारी की जावे कि स्व. दिनकरराव द्वारा किए गए समस्त विक्रयपत्र वादी पर बंधनकारी नहीं है। वादीगण एवं विवादित भूमि के अन्य सहदायिकों के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी क्र-1 से लगायत 6 तक का उक्त विवादित भूमि को हस्तांतरित करने व उक्त भूमि पर कब्जा करने का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं रखते हैं। एवं प्रकरण के निराकरण तक प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि का विक्रय न करे उसे खुरद गुर्द न करे।

11. प्रतिवादीगण क्र.-1 लगायत 6 ने स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त वादीगण के अभिवचन को असत्य बताकर अस्वीकृत किया है। उनका पक्ष है कि स्व. दिनकरराव द्वारा भूमि वैध विक्रय पत्रों के आधार पर विक्रय की है और दिनकरराव के समस्त वारसानों की सहमति एवं जानकारी में विक्रय की गई है तथा इन प्रतिवादियों की

जानकारी के अनुसार विक्रेता दिनकरराव द्वारा अपने वारसानों की भूमि विक्रय करने पर प्राप्त राशि भी दी है। स्व. दिनकरराव द्वारा सभी वारसानों की सहमति एवं जानकारी में भूमि विक्रय की गई तथा स्व. दिनकरराव की मृत्यु के बाद वादीगण द्वारा अपने पिता एवं परिवार मुखिया द्वारा किए गए उक्त वैध विक्रय को असत्य आधार पर विवादित करने का प्रयास किया है। वाद ग्रस्त भूमि इन प्रतिवादीगण द्वारा वैध विक्रय पत्रों द्वारा पूर्णतः प्रतिफल देकर कय की है। पश्चात नाम दर्ज होकर अविवादित रूप से प्रतिवादी क- 1 लगायत 6 आधिपत्यधारी भी है। प्रकरण के विचारण के दौरान वादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

12. प्रतिवादीगण ने विशेष कथन में उल्लेख किया है कि वादीगण अपने इस आवेदन में प्रथम दृष्ट्या वाद, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति की कोई बात अभिवचनित नहीं की है। इन प्रतिवादीगण को अपनी उक्त भूमि पर के.सी.सी एवं शासन को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है, जिसके अभाव में कृषि कार्य विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं। आवेदन सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

13. अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निराकरण हेतु निम्नलिखित तीन अवधारणीय बिन्दु है कि क्या:-

- 1- प्रथम दृष्ट्या मामला ।
- 2- सुविधा का संतुलन या ।
- 3- अपूर्णीय स्वरूप की क्षति के मानक वादी के पक्ष में है।

-:अवधारणीय बिन्दु कमांक-1 सकारण निष्कर्ष:-

14. वादी ने यह अभिवचन की है कि विवादित कृषि भूमियाँ स्व. दिनकरराव एवं उसकी सहदायिकी संपत्ति है। स्व. दिनकरराव उसके पिता थे। जिसकी मृत्यु दिनांक- 20.05.2013 को हुई है। उसके पिता स्व. दिनकरराव को उक्त विवादित संपत्ति स्व. कृष्णराव से विरासतन हक में प्राप्त हुई थी। वादी द्वारा विवादित संपत्ति ख. न. 188 रकबा 7.701 हे. भूमि उसके दादा कृष्णराव के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी, के संबंध कोई भी राजस्व अभिलेख संबंधी दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं।

15. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि स्व. दिनकरराव ने विवादित भूमियाँ विक्रय की है और विक्रय पत्रों के आधार पर ख.न. 188/1 में से 3.239 हे. भूमि पेकी बाई के नाम दर्ज हुई है, इसका ख.न. 188/2 है, ख.न. 188/1 में से विक्रय की गई 2.439 हे. पर शिवराम का नाम दर्ज हुआ। ख.न. 188/1 में से 0.809 हे. भूमि स्व.

दिनकरराव ने लक्ष्मी पति लक्ष्मीनारायण को दिनांक 21.08.2012 को विक्रय की हैं। जिसका ख. न. 188/3 दर्ज हुआ है बाद में लक्ष्मी ने दिनांक 21.08.2012 को दिलीप वल्द सुखदेव को विक्रय की हैं ख.न. 188/1 में से 1.248 भूमि दिनकरराव ने उर्मिला पति सुखदेव को विक्रय की हैं जिसका ख.न. 188/4 पर उर्मिला का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं। विक्रय विलेख की फोटो प्रतियाँ एवं राजस्व अभिलेख की सत्यप्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की गई हैं उक्त दस्तावेजों को विचार में लेते हुए प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में होना यह न्यायालय निर्धारित नहीं करती हैं।

—:अवधारणीय बिन्दु कमांक- 2 व 3 सकारण निष्कर्ष:-

16. वादी ने यह भी अभिवचित किया है कि प्रकरण के निराकरण तक प्रतिवादीगण क्र.-1 लगायत 6 उक्त विवादित भूमि को विक्रय नहीं करें। यदि विक्रय कर दिया जाता है तो वादी के अधिकारों की क्षति होगी। वाद प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। प्रतिवादी क्र.-1 लगायत 6 ने यह स्वीकार किया है कि वादी स्व. दिनकरराव की पुत्री है उक्त विवादित कृषि भूमियाँ स्व. दिनकरराव द्वारा प्रतिवादी शिवराम, श्रीमति उर्मिला बाई, दिलीप पिता सुखदेव को विक्रय की गई हैं। स्व. दिनकरराव द्वारा निष्पादित उक्त विक्रय पत्र शून्य है अथवा नहीं इस तथ्य का निर्धारण साक्ष्य प्रस्तुति के पश्चात् गुण-दोषों के आधार पर किया जा सकेगा। यदि प्रतिवादी क्र.-1 लगायत 6 द्वारा उक्त भूमि किसी अन्य को विक्रय कर दी जाती है तो वादों की बाहुल्यता बढ़ेगी। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 6 को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के निराकरण तक विवादित कृषि भूमियाँ किसी अन्य को विक्रय नहीं करें।

17. इस आदेश के विवेचन का प्रभाव प्रकरण के आगामी प्रक्रमों पर नहीं होगा।

आदेश दिनांकित व हस्ताक्षरित कर,
पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही /—

सही /—

(श्रीमति सीता कनोजे)

प्र.व्य.न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल के न्या.
के तृतीय अति.व्यवहार न्या.वर्ग-1 बैतूल
जिला-बैतूल म0प्र0

(श्रीमति सीता कनोजे)

प्र.व्य.न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल के न्या.
के तृतीय अति.व्यवहार न्या.वर्ग-1 बैतूल
जिला-बैतूल म0प्र0